रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED NO. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 154] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 29, 1970/भाद्र 7, 1892

No. 154] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 29, 1970/BHADRA 7, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th August 1970

G.S.R. 1264.—In pursuance of rule 20 read with clause (i) of sub-rule (2) of rule 13 of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Recruitment, Cadre, Seniority and Promotion) Rules, 1964, the Central Government in the Ministry of External Affairs, hereby makes, in consultation with the Union Public Service Commission, the following regulations to amend the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) Regulations, 1966, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) (Amendment) Regulations, 1970.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian oreign Service, Branch 'B' (Limited Departmental Competitive Examination) egulations, 1966,—

(i) in sub-regulation (i) of regulation 2, after clause (c) the following clause shall be inserted, namely:—

"(d) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meanings as are assigned to them by clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution of India.";

(ii) in item (4) of regulation 4, for Note 1, the following Note shall be substituted, namely:—

"NOTE 1.—All officers belonging to Grade IV of the General Cadre or Grade II of the Cypher Sub-Cadre or Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority other than those who have been appointed to ex-cadre posts or to another Service on 'transfer' and do not hold a lien on any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' shall be eligible to be admitted to the examination, if they fulfil the aforesaid conditions.";

(iii) in regulation 7 for sub-regulation (i), the following shall be substituted, namely:—

"(1) After every examination candidates shall be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the Select List of the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' up to the required number:

Provided that any candidate belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List of the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B', with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for inclusion therein up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, as the case may be."

[No. Q(PB)/611/3/70.]

विदेश मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 अगस्त 1970

जी० एस० आर० 1264.—भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' (भरती, संवर्ग, वरीयता, पदोन्नति) नियम 1964 के नियम 13 उपनियम (2) को धारा (1) के साथ पठित नियम 20 के अनुपालन में केन्द्रीय सरकार, विदेश मंत्रालय, संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इसके द्वारा भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन के (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1966 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाती है :—

1. (1) इन विनियमों को भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन (सीमित, विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) (संशोधन) विनियम 1970 की संज्ञा दी जाएगी।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से लागू हो जाएंगे।

2. भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा) विनियम 1966 में,—

(1) विनियम 2 के उपनियम (1) में धारा (ग) के बाद निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, यथा:—

"(घ) "अनुसूचित जातियों" तथा "अनुसूचित आदिम जातियों" का अर्थ वही होगा जो उन्हें भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 की धारा (24) और (25) में क्रमशः दिए गए है।";

(2) विनियम 4 की मद संख्या (4) में टिप्पण 1 के स्थान पर निम्नलिखित टिप्पण रखा जाएगा, यथा:—

"**टिप्पण 1** : सामान्य संवर्ग के वर्ग-चार अथवा वैज्ञानिक उप संवर्ग के वर्ग II अथवा आशुलिपिक उप-संवर्ग के वर्ग-दो के ऐसे सभी अधिकारी जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से किसी संवर्ग बाह्य पदों पर प्रति-नियुक्त है, उन्हें छोड़ कर जो कि संवर्ग या बाह्य पदों पर अथवा किसी अन्य सेवा में 'स्थानान्तरण' पर नियुक्त किए गए है और जिनका भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के किसी पद पर ग्रहणाधिकार नहीं है, इस परीक्षा में बैठने के योग्य होंगे, अगर वे उक्त निश्चित शर्तें पूरा करते हों तो।"

(3) विनियम 7 में उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, यथा:—

"(1) परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के नामों को उनकी उस योग्यता के अनुरूप क्रमबद्ध करेगा जो प्रत्येक उम्मीदवार की अन्तिम रूप में दिए गए पूर्णांकों के आधार पर होना हो; और इस क्रम में संघ लोक सेवा आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में योग्य पाएगा उन्हें भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन की चयन सूची में अपेक्षित संख्या तक शामिल करने की सिफारिश करेगा।

यह भी व्यवस्था है कि किसी अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई ऐसा उम्मीदवार, जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर चाहे योग्य न ठहरता हो लेकिन जिसे उसने प्रशासन का दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए भारतीय विदेश सेवा शाखा 'ख' के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग-दो और तीन की चयन सूची में शामिल किए जाने के उपयुक्त घोषित किया हो, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए, जैसी भी स्थिति हो, यथानिश्चित संख्या में शामिल किए जाने की सिफारिश करेगा।

[सं. 25/1 (पी बी)/70-11/3/70]

RULES

New Delhi, the 29th August 1970

G.S.R. 1265.—The rules for limited departmental competitive examination for inclusion in the Select List for the Integrated Grades II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service Branch 'B' to be held by the Union Public Service Commission in April, 1971 are hereby published for general information.

2 The number of persons to be selected for inclusion in the Select-List will be specified in the Notice issued by the Commission. Reservations shall be made for candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in respect of vacancies as may be fixed by the Government.

Scheduled Castes/Tribes mean any of the Castes/Tribes mentioned in the Scheduled Castes/Tribes Lists (Modifications) Order, 1956, read with Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1956, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956, the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967, the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968, and the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.

3. (i) The examination will be conducted by the Union Public Service Commission in the manner prescribed in the Appendix to these Rules.

(ii) The dates on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the Commission.

4. Any permanent or temporary officer of the Indian Foreign Service, Branch 'B' belonging to Grade IV of the General Cadre, or Grade II of the Cypher Sub-cadre, or Grade II of the Stenographers' Sub-cadre, who, on the 1st January, 1971, satisfies the following conditions, shall be eligible to appear at the examination:—

(1) Length of Service.—He should have rendered a continuous service of not less than five years in any one, or as the case may be, more than one of the following posts in Indian Foreign Service, Branch 'B', namely:—

(i) Grade IV of the General Cadre;

(ii) Grade II of the Cypher Sub-Cadre;

(iii) Grade II of the Stenographers' Sub-Cadre;

(2) Age—(a)—He should not be more tahn 40 years of age, i.e., he must not have been born earlier than 1st January, 1931.

Provided that—

(i) any candidate born earlier than 1st January, 1931 but not earlier than 1st January, 1930, who had rendered a continuous service of not less than five years on the 1st January, 1970;

(ii) any candidate born earlier than 1st January, 1930 but not earlier than 1st January, 1929, who had rendered a continuous service of not less than five years on the 1st January, 1969; and

(iii) any candidate born earlier than 1st January, 1929 but not earlier than 1st January, 1928, who had rendered a continuous service of not less than five years on the 1st January, 1968,

in any one, or as the case may be, more than one of the grades mentioned above, shall also be eligible for admission to the examination to be held in 1971 as a special case. This relaxation would be admissible for the examination to be held in 1971 only.

(b) The age limit prescribed above will be further relaxable:

(i) upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe;

(ii) Up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iii) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide displaced person from East Pakistan and has migrated to India on or after 1st January, 1964;

(iv) Up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Pondicherry and has received education through the medium of French at some stage;

(v) Up to a maximum of three years if a candidate is a bona fide repatriate of Indian Origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vi) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Schedulde Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Ceylon and has migrated to India on or after 1st November, 1964, under the Indo Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) Up to a maximum of three years if a candidate is a resident of the Union Territory of Goa, Daman and Diu,

(viii) Up to a mximum of three years if a candidate is of Indian Origin and has migrated from Kenya, Uganda and the United Republic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar),

(ix) Up to a maximum of three years if a candidate is a *bona fide* repatriate of Indin Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) Up to a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a *bona fide* repatriate of Indian Origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) Up to a maximum of three years in the case of Defence Service personnel disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof;

(xii) Up to a maximum of eight years in the case of Defence Services personnel, disabled in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, and released as a consequence thereof, who belong to the Scheduled Caste or the Scheduled Tribe

SAVE AS PROVIDED ABOVE THE AGE LIMIT PRESCRIBED IN NO CASE BE RELAXED.

NOTE 1—Officers belonging to Grade IV of the General Cadre or Grade II of the Cypher Sub-cadre, or Grade II of the Stenographers' Sub-cadre, who are on deputation to ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination, if otherwise eligible

This however, does not apply to a person who has been appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien on any post in the Indian Foreign Service Branch 'B'

NOTE 2—Assistants of the Central Secretariat Service and Stenographers of the Central Secretariat Stenographers' Service who are on deputation to the Indian Foreign Service Branch 'B' shall not be eligible for admission to the examination

5 No candidate shall be permitted to compete more than three times at the examination This restriction will apply with effect from the examination held in 1967

NOTE—A candidate shall be deemed to have competed at the examination if he actually appears in any one or more subjects.

6 The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

7 No candidate will be admitted to the examination unless he holds a certificat of admission from the Commission

8 A candidate who is or has been declared by the Commission guilty of impersonation or of submitted fabricated document or documents which have been tampered with or of making statements which are incorrect or false or of suppressi material information or otherwise resorting to any other irregular or impro means for obtaining admission to the examination or of using or attempting use unfair means in the examination hall, or of misbehaviour in the examinat hall, may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution,—

(a) be debarred permanently or for a specified period —

(i) by the Commission, from admission to any examination or appear at any interview held by the Commission for selection of candid and

(ii) by the Central Government from employment under them.

(b) be liable to disciplinary action under the appropriate rules

9. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the Commission to be a conduct which would disqualify him for admission to the examination.

10. Candidates must pay the fee prescribed in Annexure I to the Commission's Notice.

11. After the examination, candidates will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed by the aggregate marks finally awarded to each candidate and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified by the examination shall be recommended for inclusion in the select list of the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' up to the required number.

Provided that any candidate belonging to the Schedule Castes or the Scheduled Tribes, who though not qualified by the standard prescribed by the Commission, is declared by them to be suitable for inclusion in the Select List of the Integrated Grade II and III of the General Cadre of I.F.S (B) with due regard to the maintenance of efficiency of administration, shall be recommended for inclusion therein up to the number reserved for members of the Scheduled Castes and the Schedule Tribes, as the case may be.

NOTE 1.—Candidates should clearly understand that this is a competitive and not a qualfying examination. The number of person to be included in the Select List for the Integrated Grade II and III of the General Cadre of the Indian Foreign Service, Branch 'B' on the results of the examination is entirely within the competenee of Government to decide. No candidate will, therefore, have any claim for inclusion in the Select List on the basis of his performance in the examination as a matter of right.

NOTE 2.—The form and manner of communication of the result of the examination to the individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

12. Success in the examination confers no right to selection unless Government are satisfied, after such enquiry as may be considered necessary, that the candidate is eligible and suitable in all respects for selection.

Provided that the decision as to ineligibility for selection in the case of any candidate recommended for selection by the Commission shall be taken in consultation with the Commission.

13. A candidate, who, after applying for admission to the examination or after appearing at it, resigns his appointment in Grade IV of the General Cadre/Grade II of the Cypher Sub-cadre/Grade II of the Stenographers' Sub-cadre of Indian Foreign Service, Branch 'B', or otherwise quits the service or severs his connection with it, or whose services are terminated by his Department, or who is appointed to an ex-cadre post or to another Service on 'transfer' and does not have a lien on any post in the Indian Foreign Service, Branch 'B' will not be eligible for appointment on the results of this examination.

This, however, does not apply to a person who has been appointed on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority.

APPENDIX

The examination shall be conducted according to the following plan:—

Part I. Written examination carrying a maximum of 450 marks in the subjects shown in para 2 below.

Part II. Evaluation of record of service of such of the candidates as may be ded by the Commission in their discretion, carrying a maximum of 150 marks.

2. The subjects of the written examination in Part I, the time allowed and the maximum marks allotted to each paper will be as under:—

	Subjet	Maximum Marks	Time Allowed
(1)	Noting and Drafting, Precis Writing	100	2½ hours
(2)	Procedure and Practice in Government of India Secretariat and attached Offices.	100	2½ hours
(3)	General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government; Practice and Procedure in Parliament.	100	2½ hours
(4)	General Financial and Service Rules	50	1¼ hours
(5)	General Knowledge	100	2½ hours

3. The syllabus for the examination will be as shown in the attached schedule.

Where knowledge of Rules, orders, instructions etc., is required, candidates will be expected to be conversant with amendments issued up to the date of Notification of this examination.

4. All question papers must be answered in English.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of scribe to write the answers for them.

6. The Commssion have discretion to fix qualifying marks in any or all of the subjects at the examination.

7. Marks will not be allotted for mere superficial knowledge.

8. Deduction up to 5 per cent of the maximum marks in the written subjects will be made for illegible handwriting.

9. Credit will be given for orderly, effective and exact expression, combine with due economy of works in all subjects of the examination.

SCHEDULE

Syllabus of the Examination

(1) Noting and Drafting. Precis Writing.

In addition to question requiring candidates to prepare Notes and Drafts on specific problems, passages may also be set for summary or precis.

(2) Procedure and Practice in Government of India Secretariat and attached offices:—

This is intended to be an intensive and detailed test in methods and procedure of work in Government of India Secretariat and Attached Offices. Some guidance on the subject can be obtained from—

(i) Manual of Office Procedure current at the time of the Notification;

(ii) Chapter 7 of "Notes on Office Procedure" issued by the Secretariat Training School; and

(iii) Instructions issued by the Cabinet Secretariat regarding presentation of cases to Cabinet.

(3) General Knowledge of the Constitution of India and Machinery of Government; Practice and Procedure in Parliament.

NOTE: Knowledge of the following will be expected:

(i) the main principles of the Constitution of India;

(ii) Rules of Procedure and Conduct of Business in the Lok Sabha and the Rajya Sabha; and

(iii) the organisation of the machinery of the Government of India—designation and allocation of subject between Ministries, Departments, and Attached and Subordinate Offices and their relation *inter se*.

(4) General Financial and Service Rules.

(5) General Knowledge.

The following books are recommended:—

(i) Fundamental and Supplementary Rules (A.G.P. & Ts. compilation).

(ii) C.S.R. (Pension position only).

(iii) The Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.

(iv) The Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965.

(v) Compilation of the General Financial Rules (Revised and Enlarged) 1963.

(vi) Compilation of the Delegation of Financial Power Rules, 1958 (with Government of India Decision) and the Delegation Orders, dated the 1st June, 1962.

The paper will cover subjects of interest and importance at the present day. Questions will be set to test knowledge of the broad and salient features of the Five Year Plans and the Community Development Schemes, as also, intelligent awareness of current affairs both national and international which an educated person may be expected to have. Candidate's answers are expected to show their intelligent understanding of the questions and not detailed knowledge of any text books, reports, etc.

[No. Q(PB)/611/3/70.]

S. KRISHNAMURTI, Addl. Secy.

विक्रम

नई दिल्ली, 29 अगस्त 1970

जी० एस० आर० 1265.—भारतीय विदेश सेवा शाखा-ब के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग II और III की चयन सूची में सम्मिलित किए जाने के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा अप्रैल, 1971 में ली जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के नियम यहां सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किये जा रहे है।

2. चयन सूची मे सम्मिलित किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या संघ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी किए जाने वाले नोटिस में बतायी जाएगी। सरकार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जितने रिक्त पदों का निश्चय करेगी उनका आरक्षण कर दिया जाएगा।

अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों का अर्थ है–अनुसूचित जाति/आदिम जाति सूचियां (संशोधन) आदेश 1956, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1956, संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1959, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962, संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964, संविधान (अनुसूचित आदिम जातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967, संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968, संविधान (गोआ, दमन और दियू) अनुसूचित आदिम जातियां आदेश, 1968।

3. (i) संघ लोक सेवा आयोग यह परीक्षा इन नियमों के परिशिष्ट में निर्धारित तरीके से लेगा।

(ii) जिन तारीखों को और जिन जगहों पर यह परीक्षा होगी वे संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निश्चित की जाएगी।

4. भारतीय विदेश सेवा, शाखा 'ख' का कोई भी ऐसा स्थायी अथवा अस्थायी अधिकारी जो सामान्य संवर्ग के वर्ग IV में हो अथवा बीजांक उप–संवर्ग के वर्ग II मे या आशुलिपिक उप–संवर्ग के वर्ग II में हो और जो पहली जनवरी, 1971 को नीचे लिखी शर्तें पूरी करता हो वह इस परीक्षा में सम्मिलित हो सकेगा :—

(1) **सेवा काल**—उसने भारतीय विदेश सेवा, शाखा "ख" में निम्नलिखित किसी एक अथवा एक से अधिक पदों पर जैसी भी स्थिति हो कम से कम 5 वर्ष की सेवा की हो :—

(i) सामान्य संवर्ग के वर्ग IV में;

(ii) बीजांक उप–संवर्ग के वर्ग II मे;

(iii) आशुलिपिक उप–संवर्ग के वर्ग II में,

(2) **आयु**—(क) उसकी आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये अर्थात् उसका जन्म पहली जनवरी, 1931 से पूर्व का नहीं होना चाहिये।
लेकिन :—

(i) कोई उम्मीदवार जिसका जन्म पहली जनवरी, 1931 से पूर्व का हो लेकिन 1 जनवरी, 1930 से पहले का नहीं और जिसने 1 जनवरी, 1970 तक कम से कम 5 वर्ष निरंतर सेवा की हो।

(ii) कोई उम्मीदवार जिसका जन्म पहली जनवरी, 1930 से पूर्व हुआ हो लेकिन 1 जनवरी, 1929 से पूर्व नहीं, और जिसने 1 जनवरी, 1969 तक कम से कम 5 वर्ष निरंतर सेवा की हो; और

(iii) कोई उम्मीदवार जिसका जन्म पहली जनवरी, 1929 से पूर्व हुआ हो लेकिन 1 जनवरी, 1928 से पूर्व नहीं और जिसने 1 जनवरी, 1968 तक कम से कम 5 वर्ष निरंतर सेवा की हो,

किसी एक अथवा, जैसी भी स्थिति हो, उल्लिखित एक से अधिक वर्गों में सेवा की हो, उसे भी 1971 में होने वाली परीक्षा में विशेष मामले के रूप

में बैठने दिया जाएगा; यह छूट सिर्फ 1971 में होने वाली परीक्षा के लिये की होगी ।

(ख) ऊपर निर्धारित आयु सीमा में और भी छूट दी जाएगी जो इस प्रकार है:—

(i) अगर कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है तो अधिकतम छूट 5 वर्ष की होगी ;

(ii) अगर कोई उम्मीदवार पूर्व पाकिस्तान का प्रमाणित विस्थापित व्यक्ति है और 1 जनवरी, 1964 से अथवा उससे पूर्व भारत आ गया हो तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(iii) अगर कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है और पूर्व पाकिस्तान का प्रमाणित विस्थापित व्यक्ति भी है और 1 जनवरी, 1964 को अथवा उससे पूर्व भारत आ गया है तो उसे अधिकतम 8 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(iv) अगर कोई उम्मीदवार पांडिचेरी संघ प्रदेश का निवासी है और अगर उसने किसी स्तर पर फ्रेंच के माध्यम से शिक्षा पाई है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(v) अगर कोई उम्मीदवार श्रीलंका प्रमाणित देश प्रत्यावर्ती है और भारतीय मूल का है तथा एक नवम्बर, 1964 को अथवा उससे पूर्व अक्तूबर, 1964 के भारत–श्रीलंका करार के अधीन भारत आ गया है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(vi) अगर कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का है और श्रीलंका का भारत मूल का प्रमाणित देश प्रत्यावर्ती है जो अक्तूबर, 1964 को भारत–श्रीलंका करार के अन्तर्गत 1 नवम्बर, 1964 को अथवा उसके बाद भारत आ गया है उसे अधिकतम 8 वर्ष की छूट दी जाएगी ।]

(vii) अगर कोई उम्मीदवार गोआ, दमन और दियु संघ प्रदेश का निवासी है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(viii) अगर कोई उम्मीदवार भारत मूल का है और कीनिया, उगांडा तथा संयुक्त तंजानिया गणराज्य (जो पहले टांगानिका और जंजीबार कहलाते थे) से आया है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(ix) अगर कोई उम्मीदवार बर्मा का भारत मूल का प्रमाणित देश प्रत्यावर्ती है और 1 जून, 1963 को अथवा उसके बाद भारत आ गया है तो उसे अधिकतम 3 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(x) अगर कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति अथवा अनसूचित आदिम जाति का है तथा बर्मा का भारत मूल का प्रमाणित देश प्रत्यावर्ती भी है और 1 जनवरी, 1963 को अथवा उसके बाद भारत आ गया है तो उसे अधिकतम 8 वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(xi) अगर कोई उम्मीदवार किसी दूसरे देश के साथ अथवा किसी गड़बड़ी वाले इलाके में लड़ाई के समय कार्रवाई में अपाहिज हो गया हो और रक्षा सेवा का कर्मचारी है और परिणामतः उससे मुक्त कर दिया गया है तो उसे भी अधिकतम तीन वर्ष की छूट दी जाएगी ;

(xii) अगर कोई उम्मीदवार ऐसा रक्षा सेवा कर्मचारी है जो किसी दूसरे देश अथवा किसी गड़बड़ी वाले इलाके मे लड़ाई के दौरान कार्रवाई में अपाहिज हो गया है और परिणामतः मुक्त कर दिया गया है और जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का भी है उसे अधिकतम 8 वर्ष की छूट दी जाएगी ।

ऊपर जो बताया गया है उसके अतिरिक्त किसी और स्थिति में निर्धारित सीमा में छूट नहीं दी जा सकती ।

नोट 1—सामान्य संवर्ग के वर्ग IV के अधिकारी अथवा बीजांक उप–संवर्ग के वर्ग II अथवा आशुलिपिक उप–संवर्ग के वर्ग II के ऐसे अधिकारी भी, जो सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से संवर्ग बाह्य वर्गों पर प्रतिनियुक्त हैं, अगर अन्यथा योग्य होंगे तो इस परीक्षा में बैठ सकेंगे ।

लेकिन यह किसी ऐसी व्यक्ति पर लागू नही होगा जो किसी संवर्ग बाह्य पद पर नियुक्त हो अथवा "स्थानान्तरण" पर किसी दूसरी सेवा में हो और भारतीय विदेश सेवा, शाखा (ख) में किसी पद पर उसका ग्रहणाधिकार न हो ।

नोट 2—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायक और केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक जो भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) मे प्रतिनियुक्त है इस परीक्षा में बैठने योग्य नही होंगे ।

5. किसी भी उम्मीदवार को इस परीक्षा मे तीन बार से अधिक बैठने का मौका नही दिया जाएगा । यह प्रतिबन्ध 1967 मे सम्पन्न परीक्षा से लागू होगा ।

नोट—अगर कोई उम्मीदवार किसी एक अथवा एक से अधिक विषय में वस्तुतः परीक्षा देता है तो उसे इस परीक्षा मे शामिल माना जाएगा ।

6. परीक्षा मे शामिल होने के विषय में किसी उम्मीदवार के पत्राचार के विषय में अथवा अन्यथा संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अन्तिम होगा ।

7. किसी भी उम्मीदवार को तब तक इस परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायगी जब तक कि उसके पास संघ लोक सेवा आयोग का प्रवेश प्रमाण पत्र नहीं होगा ।

8. अगर किसी उम्मीदवार को संघ लोक सेवा आयोग द्वारा क्षद्मव्यक्तिता अथवा जाली प्रलेख अथवा ऐसे प्रलेखों के जमा कराने का जिनमें बाद मे फेरबदल की हुई हो अथवा ऐसी बातें रखने का दोषी पाया गया हो जो गलत हों अथवा झूठी हों अथवा जिसमें महत्वपूर्ण सूचना को दबाया गया हो अथवा जिसने परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी भी अन्य अनुमति अथवा अनुचित तरीके से काम लिया हो अथवा परीक्षा हॉल में नामुनासिब तरीके से काम लिया हो अथवा कोशिश की हो अथवा परीक्षा हाल में अनुचित व्यवहार किया हो, उस पर आपराधिक अभियोग तो चलाया ही जा सकता है और इसके अतिरिक्त उसे,

(क) हमेशा के लिए अथवा एक निश्चित अवधि के लिए ;

(i) इस आयोग द्वारा उम्मीदवारों के चयन के लिए, इस आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा में प्रवेश अथवा किसी साक्षात्कार से; और

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीनस्थ नियोजन से वंचित किया जा सकता है।

(ख) समोपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनात्मक कार्यवाई की जा सकती है।

9. अगर कोई उम्मीदवार अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करने की किसी भी तरह कोई कोशिश करता है तो इस कोशिश को यह आयोग एक ऐसा आचरण मानेगा, जिसकी वजह से उसे परीक्षा में प्रवेश के अयोग्य ठहराया जा सके।

10. उम्मीदवारों को इस आयोग के नोटिस के उपबन्ध 1 में निर्धारित फीस देनी होगी।

11. परीक्षा के बाद संघ लोक सेवा आयोग उम्मीदवारों के नामों को उनकी उस योग्यता के अनुरूप क्रमबद्ध करेगा जो प्रत्येक उम्मीदवार को अन्तिम रूप से दिये गये पूर्णांकों के आधार पर स्थिर होता हो; और इस क्रम में संघ लोक सेवा आयोग जिन उम्मीदवारों को परीक्षा में योग्य पाएगा उन्हें भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग II और III की चयन सूची में अपेक्षित संख्या तक शामिल करने की सिफारिश करेगा।

यह भी व्यवस्था है कि किसी अनचिह्नित जाति अथवा अनुसूचित आदिम जाति का कोई ऐसा उम्मीदवार जो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित स्तर पर चाहे योग्य न ठहरता हो लेकिन जिसे उसने प्रशासन को दक्षता बनाए रखने का समुचित ध्यान रखते हुए भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग II और III के चयन सूची में शामिल किए जाने के उपयुक्त घोषित किया हो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए जैसी भी स्थिति हो यथानिश्चित संख्या में शामिल किए जाने की सिफारिश करेगा।

नोट 1—उम्मीदवारों को यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह एक प्रतियोगिता परीक्षा है, अर्हकारी परीक्षा नहीं। परीक्षा के परिणाम के आधार पर भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के सामान्य संवर्ग के एकीकृत वर्ग ii और iii की चयन सूची में कितने व्यक्तियों को शामिल किया जाए यह तय करना पूरी तरह सरकार की सामर्थ्य में है। इसलिए कोई भी उम्मीदवार अधिकार-पूर्वक यह दावा नहीं कर सकेगा कि इस परीक्षा में उसके निष्पादन के आधार पर उसे चयन सूची में शामिल किया जाना चाहिए।

नोट 2—इस परीक्षा के परिणाम के विषय में प्रत्येक उम्मीदवार को किस रूप में और किस तरह समाचार दिया जाए इसका निश्चय संघ लोक सेवा आयोग अपने विवेक से करेगा और यह आयोग परिणाम के विषय में उनके साथ इस तरह का कोई पत्राचार नहीं करेगा।

12. परीक्षा में सफलता से चयन का अधिकार नहीं मिल जाता जब तक कि आवश्यक पूछताछ के बाद इस ओर से संतुष्ट न हो जाए कि वह उम्मीदवार चयन के लिए हर दृष्टि से योग्य और उपयुक्त है।

यह भी व्यवस्था है कि संघ लोक सेवा आयोग ने जिस उम्मीदवार के चयन की सिफारिश की हो उसकी योग्यता का निर्णय इस आयोग के परामर्श से ही लिया जाएगा।

13. अगर कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में बैठने के लिए आवेदन-पत्र देगा अथवा इसमें बैठने के बाद भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) के सामान्य संवर्ग के वर्ग IV/बीजांक उप संवर्ग के वर्ग ii/ आशुलिपिक उप संवर्ग के वर्ग II में अपनी नियुक्ति से त्यागपत्र दे देता है अथवा अन्यथा नौकरी छोड़ देता है अथवा उससे अपना नाता तोड लेता है अथवा जिसकी सेवाएं उसके विभाग द्वारा समाप्त कर दी जाती है अथवा जिसे किसी संवर्ग बाह्य पद पर अथवा 'स्थानान्तर' पर दूसरी सेवा में नियुक्त कर दिया जाता है और भारतीय विदेश सेवा शाखा (ख) में किसी पद पर जिसका ग्रहणाधिकार नही रहता वह इस परीक्षा के परिणामों के आधार पर नियुक्ति के योग्य नही होगा।

लेकिन यह किसी ऐसे व्यक्ति पर लागू नही होता जो प्रतिनियुक्ति पर किसी संवर्ग बाह्य पद पर सक्षम प्राधिकारी की पूर्वानियुक्ति से नियुक्त किये गये हों।

परिशिष्ट

निम्नलिखित योजना के अनुसार परीक्षा आयोजित की जाएगी :—

भाग I—नीचे पैरा 2 में दिखाए गए विषयों में लिखित परीक्षा, जिसमें अधिकतम 450 होंगे।

भाग II—ऐसे उम्मीदवारों के सर्विस रिकार्ड का मूल्यांकन, जिनको आयोग अपने विवेक से निश्चित करेगा और इस मूल्यांकन में अधिकतम अंक 150 होंगे।

2. भाग 1 में लिखित परीक्षा के विषय, नियत समय और प्रत्येक प्रश्न पत्र में निर्धारित अधिकतम अंक इस प्रकार होंगे :—

विषय	अधिकतम अंक	नियत समय
(1) टिप्पणी और मसौदा लेखन, सार लेखन	100	2 1/2 घंटे
(2) भारत सरकार सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में क्रियाविधि और कार्य-प्रणाली	100	2 1/2 घंटे
(3) भारत के संविधान तथा सरकार की कार्य प्रणाली ; संसद् की क्रियाविधि और कार्यप्रणाली का सामान्य ज्ञान	100	2 1/2 घंटे
(4) सामान्य वित्तीय तथा सेवा नियम	50	1 1/2 घंटे
(5) सामान्य ज्ञान	100	2 1/2 घंटे

3. परीक्षा का पाठ्य विवरण सम्बद्ध अनुसूची के अनुसार होगा।

जहां नियमों, आदेशों, अनुदेशों आदि का ज्ञान अपेक्षित है वहा उम्मीदवारों से इस बात की प्रत्याशा की जाती है कि इस परीक्षा की अधिसूचना प्रकाशित होने की तारीख तक जारी संशोधनों से परिचित हों।

4. सभी प्रश्न पत्रों के उत्तर अंग्रेजी में दिए जाने चाहिए।

5. उम्मीदवारों को अपने हाथ से प्रश्न पत्र के उत्तर लिखने चाहिए। किसी भी हालत में अपने उत्तर लिखने के लिए किसी लिपिक से सहायता लेने की अनुमति नही दी जाएगी।

6. आयोग को यह अधिकार होगा कि वह इस परीक्षा के किसी भी या सभी विषयों में अर्हक-अंक निर्धारित करे।

7. केवल ब्राह्मरी ज्ञान के लिए अंक नहीं दिए जाएंगे।

8. अपठनीय लेखन के लिए लिखित विषयों के अधिकतम अंक में से 5 प्रतिशत अंक तक काट लिए जाएंगे।

9. उन लोगों को श्रेय दिया जाएगा जो परीक्षा के सभी विषयों में व्यवस्थित, प्रभावपूर्ण और सही ढंग से उत्तर देंगे और यथोचित रूप में शब्द-मितव्ययिता से काम लेंगे।

टिप्पणी और मसौदा लेखन सार लेखन—(1) इस प्रश्न के अन्तर्गत जिसमें उम्मीदवारों से टिप्पणी और मसौदा लेखन तैयार करने के लिए कहा जाएगा, ऐसे उद्धरण भी दिए जा सकते है जिनका संक्षेप या सार प्रस्तुत करना होगा।

(2) भारत सरकार सचिवालय तथा सम्बद्ध कार्यालयों में क्रियाविधि और कार्यप्रणाली :—

इसका उद्देश्य भारत सरकार सचिवालय और सम्बद्ध कार्यालयों को कार्य की विधियों और प्रक्रिया का गहन और व्यापक परीक्षा लेना है। इस बारे में नीचे लिखी बातों से कुछ मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है :—

(i) अधिसूचना प्रकाशित होने के समय का कार्यालय पद्धति मैनुएल,

(ii) सचिवालय प्रशिक्षण शाला द्वारा जारी 'नोटिस आन आफिस प्रोसिजियर का अध्याय 7; और

(iii) मंत्रिमंडल के सामने मामले प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी अनुदेश।

(3) भारत का संविधान तथा सरकार की कार्यप्रणाली; संसद् की क्रियाविधि और कार्य प्रणाली का सामान्य ज्ञान।

नोट : निम्नलिखित बातों का ज्ञान अपेक्षित होगा :

(i) भारत के संविधान के मुख्य सिद्धांत

(ii) लोकसभा और राज्य सभा में कार्यविधि नियमावली और कार्य संचालन नियमावली; और

(iii) भारत सरकार की शासन व्यवस्था का गठन—मंत्रालय तथा विभागों और सम्बद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों में पदनाम तथा विषय विभाजन और उनका परस्पर संबंध।

(4) सामान्य वित्तीय और सेवा नियम संदर्भग्रंथ :—

(i) आधारभूत और पूरक नियम (ए० जी० पी० और टीका संग्रह)

(ii) सी० एस० आर० (केवल पेंशन भाग)।

(iii) केन्द्रीय सिविल सेवा (आचार) नियम 1964।

(iv) केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1965।

(v) सामान्य वित्तीय नियम संग्रह (संशोधित परिवर्धित) 1963।

(vi) वित्तीय शक्ति प्रत्यायोजन नियम संग्रह 1958 (भारत सरकार के निर्णय सहित) और प्रत्यायोजन आदेश, दिनांक 1 जून 1962।

(5) सामान्य ज्ञान।

इस प्रश्न पत्र में वर्तमान समय के रोचक तथा महत्वपूर्ण विषयों पर प्रश्न पूछे जाएंगे। पंच-वर्षीय योजनाओं और सामुदायिक विकास योजनाओं की मुख्य विशेषताओं के ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए प्रश्न पूछे जाएंगे, और राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय वर्तमान घटना तक के प्रति ऐसी बुद्धिपरक जानकारी की भी परीक्षा ली जाएगी, जिसकी किसी शिक्षित व्यक्ति से प्रत्याशा की जा सकती है। उम्मीदवारों से उनके उत्तर में इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वे प्रश्नों को अच्छी तरह समझते हैं, न कि उन्हें किसी पाठ्य पुस्तक, रिपोर्ट आदि का विस्तृत ज्ञान है।

[सं० स्यू (पी बी)/611/3/70.]

एस० कृष्णमूर्ति,

अवर सचिव, भारत सरकार।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970